

मु.न. 219/14 सावंलराम/जदावली

24-7-25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

24-7-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम उप.
P.O. साहब नरै/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
..... 28-8-25 को पेश हो

28-8-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित।
वकील वादी ने जाहेर किया कि वादी काफी उम्-
दराज है और वर्तमान में काफी बीमार है, इसलिए
वादी साक्ष्य हेतु समय दिया जाये। समय दिया
जाकर पत्रावली दिनांक 9-10-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

9-10-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम उप.
P.O. साहब नरै/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
..... 16-10-25 को पेश हो।

16-10-25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उप।
वादी साक्ष्य हेतु जाहेर किया जाया।
समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक
30-10-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

30-10-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम उप.
P.O. साहब नरै/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
..... 13-11-25 को पेश हो।

13-11-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाई गयी। बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील वादी
में से कोई उपस्थित नहीं। अतः वादी का वाद
अदालत हाजरी/अदालत परकी में खारिज किया
जाता है।
पत्रावली फसल शुभारंभ 11-12-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)